पत्र संख्या : 7वि०शा० / स्था०व्य० ज०सं०–15–05/2020 ज०स०...271

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉची।

रॉची, दिनांक 01/03/21

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 12 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रू 33.00 लाख (तैंतीस लाख मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	**33.000**

कुल आवंटित राशि – रुपये तैंतीस लाख मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 8039.32 लाख **(अस्सी करोड़ उन्चालीस लाख बत्तीस हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि०16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक–29 / बी०टी०ई०–18 / 2014.–15 / 300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 से पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (**http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।
अनु॰ :– यथोक्त

26/02/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 271 रॉची, दिनांक :– 01/03/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची / कोषागार पदाधिकारी**, रॉची / डोरंडा / मेदिनीनगर / हजारीबाग / चाईबासा / गढ़वा सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

26/02/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 271 रॉची, दिनांक :– 01/03/21

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची / संयुक्त सचिव (अभि॰) / उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु / प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में / सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग / सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)	(अशोक कुमार दास)	26/02/21 (प्रशांत कुमार)
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव(अभि०)	सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

पत्रांक 271 दिनांक 01/03/21 का अनुलग्नक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020–2021		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270103001 060101	49S270103001 060110	49S27010300 1060112	49S27010300 1060213	49S27010300 1060315	49S27010300 1060316	49S27010300 1060323	49S27010300 1060333	49S270103001 060334	49S27010300 1060337	49S27010300 1060442	49S27010300 1060760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.800	1.200	0.000	0.300	0.100	0.025	0.000	1.000	0.000	112.425	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.600	0.000	0.850	
		अद्यतन आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.800	1.200	0.000	0.300	0.350	0.025	0.000	1.600	0.000	113.275	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.000	1.000	1.500	0.000	0.800	0.500	0.100	1.950	1.800	0.000	67.650	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.600	0.000	0.850	
		कुल आवंटन	60.000	0.000	0.000	1.000	1.500	0.000	0.800	0.500	0.100	2.200	2.400	0.000	68.500	
3	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.200	0.850	0.000	0.250	0.350	0.075	0.000	1.300	0.000	109.025	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	
		अद्यतन आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.200	0.850	0.000	0.450	0.350	0.075	0.000	1.300	0.000	109.225	
4	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.250	0.250	0.125	0.000	1.000	0.000	77.575	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.100	0.000	0.150	
		अद्यतन आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.250	0.300	0.125	0.000	1.100	0.000	77.725	
5	आयोजन एवं मोनि० प्रमंडल,मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.510	0.500	0.000	0.250	0.000	0.300	0.000	0.800	0.000	192.360	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.300	
		अद्यतन आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.510	0.500	0.000	0.400	0.000	0.300	0.000	0.800	0.150	192.660	
6	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	2.000	0.000	88.050	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.400	
		अद्यतन आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	2.400	0.000	88.450	
7	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	210.000	0.000	0.000	1.200	0.650	0.000	0.200	0.150	0.600	1.000	0.900	0.050	214.750	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.250	0.400	0.200	1.150	
		अद्यतन आवंटन	210.000	0.000	0.200	1.200	0.650	0.000	0.300	0.150	0.600	1.250	1.300	0.250	215.900	
8	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	406.470	0.000	0.000	1.500	1.050	0.000	0.000	0.250	0.675	2.300	0.000	1.100	413.345	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.500	0.200	0.950	
		अद्यतन आवंटन	406.470	0.000	0.000	1.500	1.050	0.000	0.000	0.250	0.675	2.550	0.500	1.300	414.295	
9	जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन	294.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	295.050	
		अतिरिक्त आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	25.900	
		अद्यतन आवंटन	319.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.600	0.000	320.950	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

26/02/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2020–2021		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270103001060101	49S270103001060110	49S270103001060112	49S270103001060213	49S270103001060315	49S270103001060316	49S270103001060323	49S270103001060333	49S270103001060334	49S270103001060337	49S270103001060442	49S270103001060760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	349.300	0.000	0.000	1.150	0.650	0.000	0.000	0.100	1.000	2.300	0.900	0.500	355.900	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.250	
		अद्यतन आवंटन	349.300	0.000	0.000	1.150	0.650	0.000	0.000	0.100	1.000	2.550	0.900	0.500	356.150	
11	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	312.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.180	0.200	0.050	0.600	1.000	0.900	0.500	316.380	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.300	0.000	0.000	1.000	0.400	0.000	1.800	
		अद्यतन आवंटन	312.000	0.000	0.000	0.200	0.850	0.180	0.500	0.050	0.600	2.000	1.300	0.500	318.180	
12	सिंचाई प्रमंडल, बुंडू	पूर्व का आवंटन	369.600	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.000	0.250	0.650	0.000	0.000	0.600	372.150	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	
		कुल आवंटन	369.600	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.000	0.250	0.650	0.000	0.000	0.800	372.350	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		25.000	0.000	0.200	0.000	0.400	0.000	0.750	0.300	0.000	2.000	3.600	0.750	33.000	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये तैंतीस लाख मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव